न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 167/2022

उनवान

सरदारा पि0 अन्ना जाति मेहरात नि0 भीमपुरा नसीराबाद
––वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. कादर पुत्र धन्ना,
2. सीता पत्नी भंवर,
3. बबलू बा.
4. इब्राहिम ना.बा.
5. अमीना ना.बा. पि. भंवर जरियें संरक्षक माता सीता जाति मेहरात नि. भीमपुरा,
6. दी मैनेजर स्टेट बैंक शाखा मांगलियावास,
7. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :– 1 से 5 जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव
7 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 22.7.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भीमपुरा के वंकिग खसरा नम्बर 88 रकबा 1–9–0 हाल खसरा नम्बर 57 रकबा 0.24 की आराजी वादी ने जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 05.12.1975 को प्रतिवादी संख्या 1 व शेष प्रतिवादीगण के पति/पिता से कय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। पंजीकृत विकय पत्र की पालना में वादी के नाम नामान्तकरण संख्या 134 दिनांक 28.12.78 को मात्र इस कारण से खारिज कर दिया गया कि तकावी बकाया है। विकेता के फौत होने के कारण आराजी मुतनाजा वादी के नाम दर्ज नही हुयी जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर [illegible] नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने जवाब पेश कर निवेदन [illegible] कि आराजी मुतनाजा जवाबकर्ता के कब्जे काश्त की खातेदारी की है। विकय [illegible] संख्या 1 की उम्र 7 वर्ष व उसके भाई की उम्र 9 वर्ष थी। विक्रेता द्वारा [illegible] किया जाना विधिसम्मत [illegible] है। प्रतिवादी को कोई प्रतिफल राशि वादी द्वारा अदा न[illegible] की गयी है। प्रतिवादी [illegible] 6 अनुपस्थित रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:15:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

राज. पैरोकार ने जवाब पेश किया।
प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गयी :–
1. आया आराजी मुतनाजा वादी की विधिक कयशुदा है ?

–– वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने के कारण वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है ?

–– वादी

3. अनुतोष ?

समुचित अवसर देने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नही करने के कारण वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य बंद की गयी।
बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकोर की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 2 :–

वादी द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र अनुसार वंर्किग खसरा नम्बर 88 रकबा 1–9–0 की आराजी हांसा, हाशिम पि. धन्ना ने जरियें विकय पत्र दिनांक 10.12.74 को वादी को विकय की थी। वादी द्वारा अपने वाद में विकेता अथवा उनके वासि को पक्षकार नही बनाया है। प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्वजों द्वारा उक्त आराजी का विकय नही किया गया है। वाद अपूर्ण पक्षकार के कारण सिद्व नही होता है। हा राजस्व अभिलेख में विकेता के वारिस खातेदार दर्ज है। उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित नही है। प्रस्तुत वाद दिनांक 21.10.16 से विचाराधीन है। वादी ने वाद विचारण के दोरान भी हितबद्व व्यक्तियों को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब नही किया है। प्रतिवादीगण ने भी अपने जवाब में उक्त कथन अंकित नही किये है। वादी अधिवक्ता की त्रुटि का खामियाजा वादी को नही भुगतना पउे इसलिये प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण नही कर इसी स्तर पर प्रकरण फैसल किया जाता है।

उक्तानुसार प्रकरण का निस्तारण इस आशय से किया जाता है कि वादी आराजी मुतनाजा के सम्बन्ध में सभी हितबद्व पक्षकारों को मुर्तिब कर नवीन वाद पेश करन हेतु स्वतंत्र है। नवीन वाद पर प्रश्नगत प्रकरण का निर्णय अप्रभावी रहेगा। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:15:30 IST
Reason: SelfAttested